न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्याः— 30/2018

वादीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. हेमसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह जी जाति रावणा राजपूत निवासी कोटबालियान, तहसील बाली, जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली, जिला पाली राजस्थान। 2. पकाराम पुत्र मगनाजी जाति मेघवाल निवासी कोटबालियान, तहसील बाली, जिला पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमानसिंह, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

—:निर्णयः— दिनांक 24-9-2021

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव कोटबालियान के श्री धोकलसिंह के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष राजस्थान टिनेन्सी भूमि का अधिकतम क्षैत्र निर्धारण नियम 1963 के अन्तर्गत श्री धोकलसिंह की धारित कृषि भूमि 220 बीघा भूमि की अवधारणा को लेकर सीलिंग मुकदमा संख्या 244/70 अनवान सरकार बनाम धोकलसिंह संस्थित किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सोजत ने निर्णय दिनांक 16.9.70 गैरसायल धोकलसिंह के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए प्रकरण ड्रोप किया गया। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.10.1976 में गैरसायल धोकलसिंह के आधिपत्य मे 722 बीघा 17 बिस्वा भूमि मानकर प्रकरण में पुनः जांच कर विधिवत निर्णय पारित करने हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को अधिकृत कर प्रकरण रि—ओपन किया गया।

2. यह हैं कि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने राज्य सरकार के आदेश की पालना में सीलिंग प्रकरण संख्या 47/76 अनवान सरकार बनाम धोकलसिंह दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 26.9.1976 में गैरसायल धोकलसिंह के पास ग्राम कोटबालियान मे कुल रकबा 500 बीघा 17 बिस्वा यानी 83.7 स्टेण्डर्ड एकड भूमि की गणना की जाकर इसमे से 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को गैरसायल के ह कमे छोडते हुए शेष 53.7 स्टेण्डर्ड एकड भूमि गैरसायल द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर व गैरसालय द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भार रहित भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये।

3. यह हैं कि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के निर्णय दिनांक 26.9.1976 के विरूद्ध गैरसायल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 04/80 अनवान धोकलसिंह बनाम सरकार दर्ज की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 23.8.1985 को खारिज की गई।

अति... (सीलिंग)
पाली (राज.)

4. यह हैं कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23.8.1985 के विरूद्ध रणजीतमल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल मे रिवीजन प्रस्तुत किया गया। इस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.3.1987 को पत्रावली श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को रिमांड की गई। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने प्रकरण संख्या 01/1987 अनवान सरकार बनमान धोकलसिंह दर्ज किया गया। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने उक्त प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 07.8.1987 द्वारा इसी न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 28.9.1979 को यथावत रखा गया। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 07.8.1987 के विरूद्ध रणजीतमल ने पुनः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील की, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.10.1987 मे श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 07.8.1987 को अपास्त कर पत्रावली पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित की गई।

5. यह हैं कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.10.1987 की पालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने प्रकरण संख्या 08/87 दर्ज किया उक्त प्रकरण में दिनांक 23.11.1987 को निर्णय किया गया जिसकी क्रियान्विती मे प्रकरण लम्बित रहा। इस दौरान असैसी ने पुनः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 02.02.2006 मे अपीलांट की अपील खारीज की गयी लेकिन अपीलांट को यह निर्देश दिये गये की अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग के न्यायालय में इस अपील में विचाराधीन आदेश के विरूद्ध उजरदारी एक माह में प्रस्तुत करे तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली को निर्देश दिये की अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उजरदारी पर विचार करे तथा उसको सुने। इसके साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने ये भी निर्देश दिये की यदी अपीलांट भाररहित भूमि को अधिग्रहण करने का विकल्प प्रस्तुत करता हैं तो उसकी जांच कर उस विकल्प को स्वीकार किया जावे तथा यदी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली यह पाते हैं कि अपीलाधीन आदेश के तहत जिस भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये हैं उसके अतिरिक्त अपीलांट के पास और कोई भाररहित भूमि नहीं हैं तो फिर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली पूर्व के आदेश मे वर्णित भूमि को अधिग्रहण करने का पुनः आदेश पारित कर सकते हैं।

6. यह हैं कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 02.02.2006 की पालना मे प्रकरण संख्या 109/2006 दायरा दिनांक 27.3.2006 को दर्ज किया गया। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली ने उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 09.4.2007 द्वारा असैसी स्व. धोकलसिंह के कायम मुकाम श्री चैनसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह निवासी किशनपुरा तहसील देसूरी की ओर से भूमि को समर्पित करने का जो ऑप्शन प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाली व तहसीलदार देसूरी को आदेश दिये की सरहद कोटबालियान के खसरा नम्बर 81, 82, 83 तथा 74 की कुल रकबा 143 बीघा 6 बिस्वा भूमि तथा सरहद नाडोल के खसरा नम्बर 2163/1 मे से अधिग्रहित 40 बीघा भूमि को इस केस से मुक्त रखते हुए इस आराजी के राजस्व रेकर्ड की पृविष्टि पुर्वानुसार कायम की जावे तथा असैसी श्री धोकलसिंह के अधिपत्य की भूमि सरहद कोटबालियान की जमाबन्दी संवत् 2023–2026 के खाता संख्या 59 व 60 तथा ग्राम कोटबालियान के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 11 मे दर्ज आराजी 680 बीघा कुल आराजी 728 बीघा 8 बिस्वा मे से पूर्व निर्णयानुसार 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि असैसी स्व. धोकलसिंह के वारिसान के पक्ष में छोड़ते हुए शेष आराजी को तत्काल अधिग्रहण करके राजस्व रेकर्ड की स्थिति को दुरूस्त कर अनुपालना सुनिश्चित की जाने के आदेश प्रदान किये गये।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

7. यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाली एवं उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली के निर्णय दिनांक 9.4.2007 की अनदेखी व अवमानना कर गैरसायल की भाररहित भूमि अधिग्रहण नही कर प्रार्थी की खसरा नम्बर 178 व 179 की भूमि अवैध रूप से अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज कर दी, जो की कानून के विरूद्ध व अवैध रूप से अधिग्रहित की गई हैं।

अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया की श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर सीलिंग पाली के निर्णय दिनांक 9.4.2007 की पालना में गैरसायल धोकलसिंह द्वारा प्रस्तुत ऑप्शन के आधार पर गैरसायल की भाररहित भूमि अवाप्त की जाने तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 178 व 179 के नया खसरा नम्बर 722 बना हैं जिसका रकबा 1.52 हैक्टर वर्तमान मे हैं जो अवैध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अधिग्रहित की गई हैं उसे अवाप्ती से मुक्त करने के आदेश फरमावे।

8. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

9. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतू निवेदन किया गया।

10. अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये नोटिस सूचित करने के उपरान्त भी उनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब अथवा वकालतनामा पेश नही किया गया। जिससे प्रतित होता हैं कि उन्हे उक्त प्रकरण के निस्तारण मे किसी प्रकार की रूची नहीं हैं।

11. जिस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

12. बहस के द्वौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 9.4.2007 द्वारा असैसी स्व. धोकलसिंह के कायम मुकाम श्री चैनसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह निवासी किशनपुरा तहसील देसूरी की ओर से भूमि को समर्पित करने का जो ऑप्शन प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाली व तहसीलदार देसूरी को आदेश दिये की सरहद कोटबालियान के खसरा नम्बर 81, 82, 83 तथा 74 की कुल रकबा 143 बीघा 6 बिस्वा भूमि तथा सरहद नाडोल के खसरा नम्बर 2163/1 मे से अधिग्रहित 40 बीघा भूमि को इस केस से मुक्त रखते हुए इस आराजी के राजस्व रेकर्ड की पृविष्टि पुर्वानुसार कायम की जावे तथा असैसी श्री धोकलसिंह के अधिपत्य की भूमि सरहद कोटबालियान की जमाबन्दी संवत् 2023–2026 के खाता संख्या 59 व 60 तथा ग्राम कोटबालियान के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 11 मे दर्ज आराजी 680 बीघा कुल आराजी 728 बीघा 8 बिस्वा मे से पूर्व निर्णयानुसार 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि असैसी स्व. धोकलसिंह के वारिसान के पक्ष में छोड़ते हुए शेष आराजी को तत्काल अधिग्रहण करके राजस्व रेकर्ड की स्थिति को दुरूस्त कर अनुपालना सुनिश्चित की जाने के आदेश प्रदान किये गये। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा उक्त निर्णय की अनदेखी व अवमानना कर गैरसायल द्वारा प्रस्तुत ऑप्शन की भाररहित भूमि अधिग्रहण नही कर प्रार्थी की खसरा नम्बर 178 व 179 की भूमि अवैध रूप से अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज कर दी, जो की कानून के विरूद्ध व मानने योग्य नही हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं प्रार्थी की भूमि को अवाप्ती से मुक्त कर गैरसायल की भाररहित भूमि अधिग्रहण की जाने के आदेश फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

13. अप्रार्थी संख्या की 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा माननीय न्यायालयों के आदेश की पालना में ही अधिग्रहण की कार्यवाही की गई हैं, जो विधिनुरूप की गई है। साथ ही राजकिय अभिभषक ने निवेदन किया की उक्त प्रकरण मे अतिंम निर्णय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली का निर्णय हैं जो कि दिनांक 9.04.2007 को पारित किया गया हैं। उक्त निर्णय में लगभग 14 वर्ष से अधिक अवधि व्यतित हो चूकी हैं। अतः सी.पी.सी. की धारा 144 के प्रावधनो अनुसार किसी न्यायालय के निर्णय प्रासंगिकता इतने लम्बे समय तक नही रहती हैं। इसलिए आवेदन खारिज योग्य फरमावे।

14. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित सीलिंग कार्यवाही सरकार और धोकलसिंह के बीच में चली थी, जिसमें अलग अलग समय से अलग अलग निर्णय पारित किये गये। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 और उपखण्ड अधिकारी बाली को प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 9.4.2007 की पालना तत्काल की जानी थी लेकिन उनके द्वारा आदेश की पालना तत्समय नहीं की गई जो खेद का विषय हैं।

15. यह भी तथ्य मान्य हैं कि प्रकरण मे अंतिम निर्णय दिनांक 9.4.2007 को पारित किया गया हैं जिसे कि लगभग 14 वर्ष से भी अधिक समय हो गया हैं। अतः सी.पी.सी. की धारा 144 के प्रावधानों अनुसार किसी भी न्यायालय के निर्णय की प्रांषगिकता इतने लम्बे समय पश्चात् नही रहती है। इतने लम्बे समय तक निर्णय की पालना नही होने से अब उसकी कोई उपयोगिता प्रतीत नही होती।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(सीलिंग), पाली

यह निर्णय आज दिनांक 24-9-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(सीलिंग), पाली